न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /03/2019

1. पुरेन्द्र सिंह
2. सत्येन्द्र सिंह } पिसरान राजेश्वर सिंह जाति जाट निवासी वमनपुरा
3. खैमसिंह तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. यसवंतकौर पत्नि कप्तान शिवराम सिंह
2. गुन्जन पुत्री कप्तान शिवराम सिंह } अकवाम जाति निवासी धानौता
3. प्रवीना पुत्री कप्तान शिवराम सिंह तहसील जगादरी (हरियाणा)
4. आशीषधारी पुत्र कप्तान शिवराम सिंह

.....रेस्पो.

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 175 दिनांक 23.11.1972 नायब तहसीलदार भरतपुर ।

उपस्थितः—
1—श्री विजय सिंह कुन्तल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2—श्री पंकज कुमार अभिभाषक रेस्पो. सं. 1,2,3

निर्णय दिनांक 30.05.2025

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नायब तहसीलदार भरतपुर आदेश दिनांक 23.11.1972 नामान्तकरण संख्या 175 ग्रांम वमनपुरा तहसील व जिला भरतपुर के खिलाफ इस न्यायालय में दिनांक 28.01.2019 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार (भू.अ.) कलक्ट्रेट भरतपुर से तहत पत्रावली प्राप्त होने पर, न्यायालय की पत्रावली के साथ नत्थीबद्ध की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि नायब तहसीलदार भरतपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 175, न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर के मुकदमा सं0 248/65 में आदेश व डिक्री दिनांक 17.01.1966 की पालना में स्वीकार किया है जबकि इस तरह के कोई भी आदेश व डिक्री विधि पूर्ण तरीका से पारित नहीं हुयी है। नायब तहसीलदार भरतपुर द्वारा नामान्तकरण स्वीकार करते समय इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया है कि आराजी मुतनाजा पर उस समय परशुरामसिंह खातेदार व काश्त भंगी दर्ज है उस इन्द्राजात को देखते हुये रिकार्ड में दर्ज खातेदारान के अलावा किसी

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

भी प्रकार से किसी तीसरे व्यक्ति के हक में कोई भी डिक्री विधि सम्वत नहीं हो सकती है और न ही इनके अलावा अन्य किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। वकील अपीलान्टान का यह भी कहना है कि आराजी मुतनाजा पर कभी भी रेस्पोडेन्टान के पिता कप्तान शिवरामसिंह का ना तो कोई कब्जा रहा है और ना ही कभी भी राजस्व अभिलेख में किसी भी प्रकार से कोई इन्द्राजात उनके नाम रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के नामान्तरण स्वीकार नहीं किया जा सकता। नामान्तकरण में दर्ज आराजी अपीलान्टान की पैतृक आराजी है जिस पर अपीलान्टान अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज होकर काश्त कर रहे हैं परन्तु ब राजस्व अभिलेख में हो रहे गलत इन्द्राजात के आधार पर रेस्पोडेन्टान, अपीलान्टान को बेदखल करना चाहते हैं। क्योंकि गलत नामान्तरण स्वीकार किये जाने के कारण अपीलान्टान की पैतृक आराजी रेस्पोडेन्टान के पिता मेजर शिवरामसिंह के नाम होने से आराजी की बाबत हुये नामान्तकरण से अपीलान्टान प्रभावित हैं। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 04.01.2019 को उस समय हुई जब अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के घोषणानात्मक दावा उनवानी पुरेन्द्रसिंह बनाम यशवंत कौर न्यायालय उपखण्डाधिकारी भरतपुर में अप्रार्थीगण प्रतिवादी द्वारा अपना जबाव दावा पेश करते हुये उक्त नामान्तकरण की बाबत दावा में अंकन किया जिसे पढकर प्रार्थीगण के वकील साहब द्वारा प्रार्थीगण को उक्त नामान्तकरण की बाबत बताया। तदनुसार नामान्तकरण की नकल लेने पर नकल प्राप्त होते ही अपील बिना किसी देरी के पेश की गई। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियमय पेश किया गया है। देरी को माफ कर अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार भरतपुर द्वारा विधि विरूद्ध स्वीकार किये गये नामान्तकरण को काबिल निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक रेस्पोडेन्टान ने अपने कथनों में जाहिर किया कि तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश, सहायक कलक्टर भरतपुर के आदेश व डिक्री दिनांक 17.01.1966 की पालना में पारित किया गया है जो सही है। जहॉ तक वकील अपीलान्ट का यह कहना कि आराजी मुतनाजा पर उस समय थर्ड पर्सन परशुरामसिंह खातेदार व काश्त भंगी दर्ज है उस इन्द्राजात को देखते हुये रिकार्ड में दर्ज खातेदारान के अलावा किसी भी प्रकार से किसी तीसरे व्यक्ति के हक में कोई भी डिक्री विधि सम्वत नहीं हो सकती है और न ही इनके अलावा अन्य किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में वकील रेस्पो0 का कहना है कि यदि किसी थर्ड पर्सन को कोई आपत्ति है तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें, इसमें वकील अपीलान्ट को आपत्ति क्यों है। वकील रेस्पोडेन्टान द्वारा प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति भी पेश किया गया, जिसमें अंकित किया है कि अपीलान्टान द्वारा सहायक कलक्टर भरतपुर के आदेश व डिक्री दिनांक 17.01.1966 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहॉ भी की हुई है। डिक्री के विषय में जो भी तय होना होगा वह न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहॉ तय होगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर में अपील चलने योग्य नहीं रहती है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामा0 सहा0 कलक्टर भरतपुर के आदेश व डिक्री की पालना में दर्ज किया गया है जो सही है। अपील अपीलान्ट गलत तथ्यों

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

के आधार पर पेश की गई है। योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1994, पेज 486 एवं आर.आर.टी 2005(2) पेज 774 उद्धरित करते हुये अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक रेस्पो. की ओर से उद्धरित दृष्टान्त पर गौर किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर एवं प्रारम्भिंक आपत्ति में उठाये गये बिन्दुओं विचार किया गया ।

अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 175 तारीखी 23.11.972 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण के कॉलम सं0 14 में निम्न प्रकार अंकन किया है कि'–

" ..... डिगरी श्रीमान ए.सी.एम.कलेक्टर साहब भरतपुर तारीखी 17–1–1966 मुकदमा 248 सन् 1965 ..... ।"

नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में हो रहे उक्त अंकन से स्पष्ट है कि यह नामान्तकरण हल्का पटवारी ने सहायक कलेक्टर,भरतपुर के निर्णय/डिक्री दिनांक 17.1.1966 की पालना में खोला गया है।

अपीलाधीन उक्त नामान्तकरण पर तहत न्यायालय नायव तहसीलदार भरतपुर ने आदेश अंकन किया है जो इस प्रकार है :–

".....दा0 खा0 मुताविक आदेश श्रीमान ए.सी.एम. के स्वीकार किया जाता है.... ।"

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

नामान्तकरण पर हो रहे उक्त आदेश/अंकन से यह निर्विवाद है कि अपीलाधीन नामान्तकरण सहायक कलेक्टर भरतपुर के निणर्य/डिक्री की पालना में दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। नायव तहसीलदार भरतपुर ने सहायक कलेक्टर भरतपुर के निर्णय/डिक्री आदेश की पालना की है ना कि स्वयं विवेक से कोई आदेश पारित किया है। नायव तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं की है। सहायक कलेक्टर भरतपुर द्वारा द्वारा जारी निर्णय/डिक्री को दोनों पक्षकार स्वीकार करते हैं। योग्य अभिभाषक रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत नकल सत्यप्रतिलिपि अपील मीमो सुरेन्द्रसिंह पुत्र राजेश्वर बनाम यशबत कौर वगे0 के अवलोकन से जाहिर आया कि अपीलान्ट पुरेन्द्रसिंह ने सहायक कलेक्टर भरतपुर द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 17.1.1966 के खिलाफ माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में एक अपील पेश की हुई है जो विचाराधीन है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर